अध्यक्ष महोदय : इस का इस सवाल से कोई मतलब नहीं है ।

श्री मधु लिमये : इस तरह से यहां सत्य को सरकार छिपाती है और हमें मेहनत कर के उसे सामने लाना पड़ता है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : (फर्रुखाबाद): मंत्री जी ने अभी इसी जगह दो बातें कहीं । एक तो यह कि ताशकन्द घोषणा का सख्ती से पालन होगा और दूसरे यह कि सीमाओं पर सावधानी से नजर रक्खी जा रही है । सावधानी की नजर हमेशा गड़बड़ी की शुरूआत होती है । उन्होंने यह दोनों बातें कहीं इस लिये क्या सरकार अब इस मामले पर व्यापक दृष्टि रखने के लिए, एक प्रस्ताव पर विचार कर चुकी है कि जैसे महात्मा गांधी की हत्या के सम्बन्ध में एक आयोग उसने बिठाया वैसे ही इस देश के भारत और पाकिस्तान में बटवारे पर एक आयोग बिठलाये । अगर उस ने विचार किया है तो कब तक यह आयोग बैठ जायेगा ।

Shri Y. B. Chavan: There is no question of appointing a commission on this.

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय : इस सवाल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अगर हमेशा इस तरह से रोकेंगे तो यह मुल्क बरबाद होता चलेगा . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं तो कोई रोक काम नहीं कर सकता ।

डा० राम मनोहर लोहिया : तब फिर आप भी बरबादी में हिस्सा लेंगे ।

12.32 hrs.

PAPER LAID ON THE TABLE

ANNUAL ACCOUNTS OF THE COMMISSIONERS FOR THE PORT OF CALCUTTA AND AUDIT REPORT

The Minister of State in the Ministry of Transport and Aviation (Shri C. M. Poonacha): With your permission, Sir, I beg to lay on the Table of the House, on behalf of Shri Sanjiva Reddy, a copy of the Annual Accounts of the Commissioners for the Port of Calcutta for the year 1963-64 along with the Audit Report thereon. [*Placed in Library. See* No. LT-5922/66].

12.32½ hrs.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

Secretary: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary of Rajya Sabha:—

(1) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 28th March, 1966, agreed without any amendment to the Armed Forces (Special Powers) Amendment Bill, 1966, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 21st March, 1966."

(2) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation Bill, 1966, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 22nd March, 1966, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."